

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील में जारी
हूए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील में जारी
हूए

14-01-2026

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट प्राप्त।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना में खसरा संख्या 1667,2285/812,917 व 799 रकबा क्रमशः 5.2124, 0.0405, 2.6062 व 1.4407 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है, तहसील सिवाना के नवीन भू-प्रबन्ध के दौरान मूल खसरा संख्या 1667 का नवीन खसरा संख्या 1977,1975 व 1976 रकबा क्रमशः 2.6668, 0.0077 व 2.2575 हैक्टेयर खसरा संख्या 2285/812 का नवीन खसरा संख्या 436 रकबा 0.0414 हैक्टेयर खसरा संख्या 917 का नवीन खसरा संख्या 753 रकबा 2.6047 हैक्टेयर व खसरा संख्या 799 का रकबा नवीन खसरा संख्या 360 रकबा 1.4363 हैक्टेयर बना, राजस्व कर्मचारियों द्वारा खसरा संख्या 1667 रकबा 5.2124 हैक्टेयर के नवीन खसरा संख्या 1975,1976 व 1977 बनाते समय बीचो बीच मध्य में गलत तौर से रास्ता अंकित कर नया खसरा गलत नक्शा में तरमीम कर दी जबकि मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है, लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त त्रुटिपूर्ण तरमीम को निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" अनुसार दुरुस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गंभीरता से अवलोकन व तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट पर मनन किया। तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना के पुराने खसरा संख्या 1667 रकबा 5.2124 का नवीन भू-प्रबन्ध के दौरान नवीन खसरा संख्या 1977,1975 व 1976 रकबा क्रमशः 2.6668, 0.0077 व 2.2575 हैक्टेयर बना पुराना खसरा संख्या 1667 का रकबा 5.2124 था तथा उक्त खसरे से बने तीनो नवीन खसरे का रकबा 4.9320 हैक्टेयर है उक्त रकबे का अन्तर 5.38 प्रतिशत है जो सर्वे-रिसर्वे के नियमानुसार अनुज्ञय सीमा में है,वर्तमान खसरा



उपस्थित अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

तारीख
हुकम


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अहकाम
की तामील
हुए

संख्या 1976 व 1977 के उत्तर दिशा में रास्ता चल रहा है जो पहले रेकॉर्ड में कटाण मार्ग नहीं था वर्तमान में उक्त रास्ते को रेकॉर्ड में कटाण किया गया है जो खाता संख्या 01 में दर्ज है, प्रार्थी को मौके अनुसार रकबा दिया गया है,

तहसीलदार सिवाना की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी के मूल खसरा संख्या 1667 से बने नये खसरा संख्या 1977, 1975 व 1976 रकबा क्रमशः 2.6668, 0.0077 व 2.2575 के मध्य से जो रास्ता वर्तमान में दर्ज किया गया है वह मौके पर चल रहा था परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नहीं था, नवीन भू-प्रबन्ध के दौरान यह स्पष्ट निर्देश है कि यदि कोई रास्ता मौके पर चलयमान है परन्तु वह राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नहीं है उसे राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया जावे, उक्त रास्ते को दर्ज किये जाने के कारण ही प्रार्थी का रकबा कम हुआ है। तहसीलदार सिवाना ने मौके अनुसार ही राजस्व रेकॉर्ड में तरमीम की है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार अस्वीकार किया जाकर खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।


उपस्यण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)